कार्यालयः प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।

85, राजपुर रोड़, देहरादून 248001, Email:pccfuk@gmail.com

पत्रांक-ख-215/ 18-5 दिनांक : 19/08/2021

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान मे यह आया है कि वर्ष 2008 के बाद वन पंचायत से संबंधित प्रभागों में पंचायती वन से लीसा, लकड़ी एवं अन्य गौण वन उपज के विदोहन से प्राप्त धनराशि संबंधित वन प्रभागों ने काफी वर्षो से वन जमा में रखी गयी है। जो कि वन पंचायतों के हित में नही है, इससे वन विभाग की छवि वन पंचायतों से जुडे ग्रामीणों में धूमिल हो रही है। वन प्रभागों द्वारा इसे तुरन्त वन पंचायतों के खातों में एक व्यापक अभियान चलाकर जमा किया जाना आवश्यक है।

शासनादेश संख्या 13/XXVII/आ0प्र0(14) दिनांक 05.08.2009 से वर्ष 2008 तक की धनराशि शासन द्वारा अवरूद्ध (Freeze) की गई है। वर्ष 2008 के पश्चात वर्तमान तक पंचायती वनों से वर्ष वार विभिन्न वन उपज (जैसे लीसा, लकड़ी एवं अन्य गौण वन उपज इत्यादि) के विदोहन से प्राप्त राजस्व को प्रत्येक वन प्रभाग द्वारा अभियान चलाकर दिनांक 26.08.2021 तक सम्बन्धित वन पंचायत के खातों में उत्तराखण्ड वन पंचायत नियमावली 2005 (यथा संशोधित 2012) की धारा 30 के अनुरूप कार्यवाही करते हुये स्थानान्तरित करवाना सुनिश्चित करें।

(राजीव भरतरी)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

संख्या ख-215/18-5 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत व वन्यजीव उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, कुमांऊ, वन पंचायत व वन्यजीव, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. कार्यालय पत्रावली।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।